आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 73/11** **जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1718/गो0 दिनांक 24.9.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनाक 5.9.11 को अपराह्न 12.30 बजे अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा जय प्रकाश सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति स0 06/07, ग्राम–पकहा, पंचायत–नगर पंचायत, थाना–मढ़ौरा, प्रखंड–मढ़ौरा की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में निम्नांकित अनियमितताएं पायी गयी। 1. वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। वितरण कार्य नहीं किया जा रहा था। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. आपकी अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की समुचित जॉच नहीं की जा सकी। 4. विक्रेता के परिवार के सदस्यों के द्वारा स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी उपलब्ध कराया गया, जिसके अवलोकन से विभिन्न प्रकार की अनयमितताएँ दृष्टिगोचर हुई। जिसके संबंध में परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। 5. माह अगस्त 2011 के पूर्व का बी.पीएल. एवं अन्त्योदय का भंडार पंजी/वितरण	

पंजी निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

6. प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में कालाबाजारी के उद्देश्य से किरासन तेल/खाद्यान्न का उठाव किया जाना तथा जाँच पदाधिकारी को संबद्ध उपभोक्ताओं की सूची प्रस्तुत नहीं किया जाना।

उक्त अनियमितताओं के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1551/गो0 दिनांक 5.9.11 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसमें विक्रेता को निदेश दिया गया कि दिनांक 14.9.11 को अपराह्न 2.00 बजे सभी कागजातों यथा, बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय माह का अगस्त 2011 के पूर्व का / चीनी के स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी/ उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन/ कैशमेमो/ प्रखंड कार्यालय, मढ़ौरा से प्राप्त उपभोक्ता की सत्यापित प्रति मूल प्रति के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता जाँच के दिन अपने उपभोक्ताओं के समान का उठाव करने के लिए गोदाम पर गए हुए थे, इसलिए यह कहना गलत है कि अपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर दूकान बंद किया गया। सूचनापट्ट सही तरीके से संधारित किया गया था। चूँकि अपीलार्थी की दूकान बंद थी, इसलिए स्टॉक पंजी या कोई भी अन्य कागजात प्रस्तुत ही नहीं किया गया, इसलिए जाँच के दिन परिवार वालों के द्वारा किसी प्रकार की कोई पंजी देने की बात या उसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की बात गलत है। अपीलकर्त्ता अगस्त 2011 के पूर्व के जिन पंजियों का कस्टोडियन ही नहीं था, उन पंजियों को दिखा पाना उसके लिए संभव नहीं था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह के मध्य में एडवाइस लिस्ट दिया जाता है, जो प्रखंड आपूर्ति कार्यालय की त्रुटि है, जिस वजह से माह के मध्य के बाद ही उठाव कर पाना संभव हो पाता है। इसलिए इस क्रम में दूकान के बंद रहने पर कालाबाजारी का औचित्य बताना सही नहीं है। एक अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि जन वितरण प्रणाली की किसी दूकान के केवल बंद रहने को आधार मानकर अनुज्ञप्ति रद्द करने जैसी गंभीर सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं विधि सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में संक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में कई कमियाँ दृष्टिगोचर हो रही है। खाद्यान्न का उठाव करने के लिए गोदाम पर जाने के कारण दूकान के बंद रहने की स्थिति में अपीलनार्थी पर जानबूझकर दूकान बंद करने का आरोप लगाना सही नहीं है। इससे संबंधित साक्ष्य की माँग अपीलार्थी से की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कुछ कमियाँ पायी गयी हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई भी द्वितीय कारणपृच्छा अपीलार्थी से नहीं की गयी एवं अपीलार्थी के द्वारा समर्पित कागजातों में पायी गयी अनियमितताओं को आधार बनाकर विकेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के विपरित प्रतीत होती है। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमाड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 52 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि:–अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
29/1/15